₹. (2015) 1 S.C.R I 1.

दीवान सिंह

वी.

बी. भारत का जीवन बीमा निगम और

अन्य

(2010 की सिविल अपील सं. 3655) 5 जनवरी, 2015

सी. [विक्रमजीत सेन और प्रफुल्ल सी. पंत, जे. जे.]

> सेवा कानूनः अनिवार्य सेवानिवृत्ति-धन का दुरुपयोग-पॉलिसी धारक द्वारा अपीलार्थी-कैशियर के पास 13.8.1990 पर Rs.533 जमा करना लेकिन एल. आई. सी. के पास जमा नहीं की गई राशि-रुपये का अस्थायी गबन। 533/- 13.08.1990 से 27.11.1990 की अवधि के लिए और रुपये की जाली प्रविष्टि। 533/- कैशियर द्वारा दिनांकित खाता पत्रक की कार्बन प्रति में-सेवा से हटाने का आदेश-उच्च न्यायालय ने सेवा से हटाने के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को प्रतिस्थापित करते हए-अपील पर कहाः आरोप की प्रकृति को देखते हुए जिसमें कैशियर को दोषी पाया गया था, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संजा को कठोर और असमान नहीं कहा जा सकता है-ऐसे मामलों में, अदालतों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

HELD: अपीलार्थी का निवेदन था कि राशि को उसके द्वारा 13.8.1990 पर जमा नहीं एफ. किया जा सकता था क्योंकि उस दिन पॉलिसी धारक द्वारा वास्तव में भुगतान की गई नकदी कम थी और इसलिए अपीलार्थी का कार्य प्रामाणिक था। यह स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि कैशियर काउंटर पर नकदी की गिनती किए बिना रसीद जारी नहीं करता था। दूसरा, यदि अपीलार्थी का कार्य प्रामाणिक होता, तो वह रुपये की जाली प्रविष्टि नहीं करता। 533/- खाता पत्रक की कार्बन प्रति में प्रविष्टि संख्या के जी. बीच 13.8.1990 पर। 12 और 13. के रूप में

1.

एच.

डी.

ई.

ए. 2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट = [2015] 1 S.C_RI

इस प्रकार, अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले जांच अधिकारी के निष्कर्ष को अभिलेख पर साक्ष्य के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान मामले में जिस आरोप की प्रकृति के लिए अपीलार्थी को दोषी पाया गया है, उसे देखते हुए सजा को अपराध के बी. लिए कठोर या असमान नहीं कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए। गबन की गई राशि छोटी या बड़ी हो सकती है; यह गबन का कार्य है जो प्रासंगिक है। [पैरा 5,6,7 और 11] [4-जी; 5-ए-बी, डी; 7-बी]

- सी. संभागीय नियंत्रक, N.E.K.R.T.C बनाम एम. अमरेश (2006) 6 एस. सी. सी. 187:2006 (3) पूरक। एस. सी. आर. 585; संभागीय नियंत्रक, के. एस. आर. टी. सी. (एन. डब्ल्यू. के. आर. टी. सी.) बनाम <आई. डी. 1>. माने (2005) 3 एस. सी. सी. 254;
- डी. निरंजन हेमचंद्र सशितल और अत्र। महाराष्ट्र राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. <आई. डी. 1> (4) एस. सी. आर. 767; राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और ए. एन. आर. बनाम बजरंग लाल (2014) 4 एस. सी. सी. 693:2014 (3) एस. सी. आर. 782; नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ बनाम कृष्णन बिहार और अन्य। (1996) 2 एस. सी. सी. <आई. डी. 1> (2) एस. सी. आर. 827-पर निर्भर था।
- ई. मामला कानून संदर्भः

2006 (3) पूरक। एस. सी. आर. 585 पैरा 8 पर आधारित है

एफ. (२००५) ३ एस. सी. सी. २५४ पैरा ९ पर आधारित

2013 (4) एस. सी. आर. 767 पैरा 10 पर आधारित

2014 (3) एस. सी. आर. 782 पैरा 11 पर आधारित

जी. 1996 (2) एस. सी. आर. 827 पैरा 11 पर आधारित

सिविल अपील न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

एच. 2010 का 3655।

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27-08-2009 से विशेष अपील सं। 1999 का 1167।

अपीलार्थी के लिए गौरव अग्रवाल।

ए. दीवान सिंह। जीवन बीमा निगम 3

भारत का

कैलाश वासदेव, A.V। उत्तरदाताओं के लिए रंगम, बडी ए. रंगनाथन।

बी. न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

प्रफुल्ल सी: पंत, जे। 1. यह अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील सं. 1 में पारित 27.8.2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। 1999 का सी. 1167, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील की अनुमित दी है, और अपीलार्थी को दिए गए निष्कासन के दंड को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया है।

 हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर दस्तावेजों का अध्ययन डी. किया है।

> 3. संक्षेप में कहा गया है कि तथ्य यह है कि अपीलकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद "एल. आई. सी". के रूप में संदर्भित) के साथ एक कैशियर था और <आई. डी. 1> में बिलासपुर, जिला रामपुर में तैनात था। एक पॉलिसी धारक, भोगराज सिंह ने अपीलार्थी के पास 13.8.1990 पर अर्धवार्षिक बीमा प्रीमियम के लिए Rs.533/- की राशि जमा की, लेकिन यह राशि एल. आई. सी. के पास जमा नहीं की गई और न ही 27.11.1990 तक पॉलिसी धारक के खाते में जमा की गई, हालांकि अपीलार्थी द्वारा 13.8.1990 पर एक रसीद जारी की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब एल. आई. सी. एजेंट ने जमा किए गए प्रीमियम से अपना कमीशन नहीं लिया, और इस संबंध में पूछताछ की, तो उपरोक्त राशि Rs.533/- को अपीलार्थी द्वारा Rs.15.90/- के विलंब शुल्क के साथ जमा किया गया था, और 28.11.1990 पर नकद रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी। इसके अलावा, पिछली तारीख को खाता पत्र में एक जाली प्रविष्टि की गई थी। अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त कदाचार के संबंध में, उस पर दो मामलों में एक आरोप-पत्र जारी किया गया था, अर्थात, 13.8.1990 से 27.11.1990 की अवधि के लिए Rs.533/- का अस्थायी गबन, और प्रविष्टि संख्या 13.8.1990 के बीच Rs.533/- की जाली प्रविष्टि। 12 और 13. विभागीय जाँच के समापन पर, अपीलार्थी को दोषी पाया गया, और जाँच रिपोर्ट की प्रति पेश की गई. जिसके बाद उसे दिनांक 21.1.1992 के आदेश के माध्यम से सेवा से हटा दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय अपील

एच.

जी.

ई.

एफ.

ए. 4 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट-[2015] 1 S.C.RI

22.2.1992 पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया।

4. सेवा से हटाने के आदेश और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए, बी. अपीलार्थी ने सिविल विविध रिट याचिका सं. उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 का 10308 जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 6.9.1999 पर अनुमित दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश से व्यथित, नियोक्ता (i.e) द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की गई थी। --L.I.C.)। डिवीजन बेंच, पक्षों को सुनने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अपनी सी. गलती को छिपाने के लिए जालसाजी की है, और आंशिक रूप से सेवा से हटाने के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को प्रतिस्थापित करके अपील को अनुमित दी। अपीलार्थी-कर्मचारी ने विशेष अवकाश याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा असमान, अनुचित और कठोर है। इस न्यायालय द्वारा

डी. 19.4.2010 पर अनुमति दी गई थीं।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 23 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार है: -

ई. "23. सेवा की बरामदगी। - त्यागपत्र या बर्खास्तगी या

किसी को हटाना या समाप्त करना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति

एफ. निगम की सेवा से कर्मचारी अपनी पूरी पिछली सेवा को जब्त कर लेगा और परिणामस्वरूप पेंशन लाभ के लिए योग्य नहीं होगा।

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह एक छोटी राशि के अस्थायी गबन का मामला है, जैसे कि वेतन वृद्धि आदि को रोकने का मामूली दंड जी. देना। न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया होगा। हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि राशि को अपीलार्थी द्वारा 13.8.1990 पर जमा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस दिन पॉलिसी धारक द्वारा वास्तव में भुगतान की गई नकदी कम थी, क्योंकि अपीलार्थी की ओर से किया गया कार्य प्रामाणिक था।

एच. 6. हमने उपरोक्त पर विचारपूर्वक विचार किया है।

दीवान सिंह बनाम जीवन बीमा निगम = 5 ₹. भारत का [प्रफुल्ल सी. पंत, जे.] अपीलार्थी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया। सामने दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कैशियर काउंटर पर नकदी की गिनती किए बिना रसीद बी. जारी नहीं करता। दूसरा, यदि अपीलार्थी की ओर से किया गया कार्य प्रामाणिक होता, तो उसने प्रविष्टि संख्या के बीच 13.8.1990 पर खाता पत्रक की कार्बन प्रति में Rs.533/- की जाली प्रविष्टि नहीं की होती। 12 और 13. इस प्रकार, हमारी राय में, अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले जांच अधिकारी के निष्कर्ष को अभिलेख पर साक्ष्य के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। सी. 7. जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दंड की मात्रा से संबंधित तर्क का संबंध है, जिसके परिणामस्वरूप ऊपर उद्धृत नियम 23 को देखते हुए पेंशन लाभों को जब्त कर लिया जाता है, हम उस आरोप की प्रकृति को देखते हुए दंड को कठोर या डी. अपराध के लिए असमान नहीं पाते हैं, जिसके लिए अपीलार्थी को वर्तमान मामले में दोषी पाया जाता है। बार-बार, इस न्यायालय ने लगातार कहा है कि ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए। 8. डिवीजनल कंट्रोलर, N.E.K.R.T.C बनाम एम. अमरेश 'में, इस न्यायालय ने फैसले ई. के पैरा 18 में इस मुद्दे पर विचार निम्नानुसार व्यक्त किए हैंः "तत्काल मामले में, द्वारा धन का दुरुपयोग अपराधी कर्मचारी के पास केवल 360.95 रुपये थे। यह न्यायालय एफ. निगम के कोष का दुरुपयोग करने वाले अपराधी कर्मचारियों को दी जाने वाली सजा और विचार किए जाने वाले कारकों पर विचार किया है। यह न्यायालय ने निर्णयों के एक समृह में यह अभिनिर्धारित किया कि जी. आत्मविश्वास प्राथमिक कारक है न कि मात्रा

धन का दुरुपयोग किया गया और यह कि सहानुभूति या

निगम के धन का दुरुपयोग, कुछ भी नहीं है

निगम में विश्वास या विश्वास खोना गलत है

एच.

उदारता एक ऐसा कारक नहीं हो सकता है जिसकी अनुमित नहीं है।

एक कर्मचारी और बर्खास्तगी की सजा देना। 1 में। (2006) 6 एससीसी 187।

कानून। जब कोई कर्मचारी चोरी या चोरी का दोषी पाया जाता है

ए. 6 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट = [2015] 1 S.C.RI

ऐसे मामलों में, न्यायिक मंचों की ओर से उदारता या गलत सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं है और इसलिए सजा की मात्रा में हस्तक्षेप

करना..

बी. .. 9. डिवीजनल कंट्रोलर में, केएसआरटीसी (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) बनाम <आईडी1>।

मानों? जिसमें बेनामी राशि केवल Rs.93/- थी

न्यायालय ने पैरा 12 में अपनी राय निम्नानुसार व्यक्त कीः

सी.

डी.

"सजा की मात्रा के सवाल पर आते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि यह धन की राशि का दुरुपयोग नहीं है जो सजा देने के लिए एक प्राथमिक कारक बन जाता है; इसके विपरीत, यह विश्वास की हानि है जो प्राथमिक कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारी राय में, जब कोई व्यक्ति निगम के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है, तो निगम द्वारा ऐसे व्यक्ति में विश्वास या विश्वास खोने और बर्खास्तगी की सजा देने में कुछ भी गलत नहीं है।

- 10. निरंजन हेमचंद्र सशितल और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 'में, इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 25 में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः -
- ई. " वर्तमान परिदृश्य में, भ्रष्टाचार को अर्थव्यवस्था के मज्जा को नष्ट करने की क्षमता के रूप में माना गया है। ऐसे मामले हैं जहां राशि कम है, और कुछ मामलों में, यह बहुत अधिक है। हमारी सुविचारित राय में, ऐसे मामले में अपराध की गंभीरता को रिश्वत की मात्रा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। लाभ के बदले में पक्ष बढ़ाने के लिए अधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का रवैया सामूहिक के खिलाफ अपराध है और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के लिए अभिशाप है, क्योंकि यह व्यवस्था में लोगों के विश्वास को एफ कम करता है। यह कानून के शासन में एक लाइलाज विकृति पैदा करता है "...।
 - 2. (2005) 3 एससीसी 254।
 - 3. (2013) 4 एससीसी 642

जी.

- 4, (2014) 4 एससीसी 693
- एच. 5. (1996) 2 एससीसी 714

ए. दीवान सिंह बनाम भारत का जीवन बीमा निगम ७ [प्रफुल्ल सी. पंत, जे.]

बी.

सीसी

डी.

11. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम बजरंग लाई में, नगर सिमित, बहादुरगढ़ बनाम कृष्णन बिहारी और अन्य के मामले के बाद, इस न्यायालय ने राय दी है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में बर्खास्तगी के अलावा कोई अन्य सजा नहीं हो सकती है। यह भी माना गया है कि ऐसे मामलों में दिखाई गई कोई भी सहानुभूति पूरी तरह से अनावश्यक है और जनहित के खिलाफ है। गबन की गई राशि छोटी या बड़ी हो सकती है; यह गबन का कार्य है जो प्रासंगिक है। उक्त मामले में (राजस्थान एस. आर. टी. सी.), प्रतिवादी/कर्मचारी को सेवा से हटाने की सजा दी गई थी। वर्तमान मामले में यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पहले के अवसर पर, अपीलार्थी को डाक टिकटों के अवमूल्यन के संबंध में उसके कदाचार के लिए मामूली सजा दी गई थी। और अब वह दूसरी बार दोषी पाया गया है।

12. इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। देविका गुजराल की अपील खारिज कर दी गई।